854-58 dt 19/6/09 (80)

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

<u>जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की तृतीय बैठक दिनांक 9 जून, 2009 के कार्यवाही विवरण के अंश</u>

प्रस्ताव संख्या / (1) : अवमानना प्रकरणों में वैकल्पिक भूखण्डों के आवंटन की पुष्टि।

जिला उपभोक्ता मंच एवं अन्य न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर एवं वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा अनुपालना नहीं किये जाने के कारण लम्बे समय से अवमानना प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन थे एवं ए.सी.जे.एम. न्यायालय में दो प्रकरणों में न्यायालय के आदेश की पालना हेतु प्रकरण विचाराधीन थे। माननीय न्यायालयों द्वारा इन प्रकरणों में शीघ्र निस्तारण का निर्देश देते हुए अधिकारियों को व्यक्तिगत उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे।

न्यायालय के निर्देशों की पालना हेतु शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक था। अतः निम्न अनुसार व्यक्तियों को आवंटित भूखण्ड के स्थान पर वैकल्पिक भूखण्ड दिये जाने का माननीय न्यायालयों उपभोक्ता मंच/राज्य उपभोक्ता मंच के आदेशों की अनुपालना में निर्णय लिया गया एवं अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन कराकर न्यायालय में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी:--

अवमानना प्रकरण
जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण मंच, जोधपुर

वर्ष 2009

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	अवमान मुकदमा	विवादित सम्पत्ति	निर्णय	मूल भूखण्ड का माप	आवंटित वैकल्पिक भूखण्ड
1--	34/09	श्री महेश शर्मा बनाम अध्यक्ष श्री जी.पी. [illegible]लिया व सचिव श्री आर. सी. गुप्ता व अन्य	प्लाट संख्या 132, सुभाष नगर योजना	23 जुलाई, 2008	40 फीट गुणा 60 फीट	भूखण्ड संख्या 346 सेक्टर नम्बर-1 रामराज नगर योजना आकार 39 फीट गुणा 69 फीट आवंटित किया जाता है।

वर्ष 2008

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	अवमान मुकदमा	विवादित सम्पत्ति	निर्णय	मूल भूखण्ड का माप	आवंटित वैकल्पिक भूखण्ड
2--	45/08	श्रीमती मंजू सारस्वत बनाम अध्यक्ष श्री राजेन्द्र गहलोत व सचिव श्री पी. रमेश	प्लाट संख्या 281 सेक्टर सी कीर्ति नगर योजना	10 अप्रैल, 2007	20 फीट गुणा 45 फीट	पूर्व में पत्रकार कॉलोनी में 270.61 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया था इससे जेडीए सहमत नहीं होने से रामराज नगर में सेक्टर 5 में भूखण्ड संख्या 11 आकार 20 फीट गुणा 45 फीट आवंटित किया जाता है।
3-	/06	श्री जगदीश प्रसाद वैष्णव बनाम श्री राजेन्द्र गहलोत अध्यक्ष	प्लाट संख्या 67 कमला नेहरू नगर योजना	1 जनवरी, 2008	30 फीट गुणा 60 फीट	रामराज नगर योजना सेक्टर नम्बर 1 भूखण्ड संख्या 42 आकार 30 फीट गुणा 64 फीट आवंटित किया जाता है।
4-	/06	श्री भीमनदास बनाम श्री राजेन्द्र गहलोत व श्री जयो बंसल	प्लाट संख्या 50 कीर्तिनगर सेक्टर बी	23 फरवरी, 2007	20 फीट गुणा 45 फीट	रामराज नगर योजना सेक्टर 5 प्लाट संख्या 12 आकार 20 फीट गुणा 45 फीट आवंटित किया जाता है।
5-	61/07	श्री राजलोढा बनाम श्री राजेन्द्र गहलोत, अध्यक्ष व श्री कृष्ण कुणाल सचिव	प्लाट संख्या 301 पूर्वी पाल रोड योजना	3 जुलाई, 2007	40 फीट गुणा 70 फीट	भूखण्ड संख्या 350 सेक्टर नम्बर-1 रामराज नगर आकार 39 फीट गुणा 69 फीट आवंटित किया जाता है।

अपील

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	अवमान मुकदमा	विवादित सम्पत्ति	न्यायालय का आदेश	निर्णय	मूल भूखण्ड साईज	आवंटित वैकल्पिक भूखण्ड
1--	[illegible]	जेडीए बनाम श्रीमती ललिता [illegible]	प्लाट संख्या 297 सेक्टर सी [illegible]	राज्य आयोग से [illegible] पक्ष में फैसला।		20 फीट गुणा 45 फीट	रामराज नगर सेक्टर 5 प्लाट संख्या 13 साईज 20 फीट गुणा 45 फीट आवंटित किया जाता है।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

				निर्णय लिया गया।			
2–	/09	जेडीए बनाम श्री आनन्दसिंह टाक	प्लाट संख्या 124 सेक्टर बी कीर्ति नगर योजना	राज्य आयोग से प्रार्थी के पक्ष में फैसला। अपील नहीं करने का निर्णय लिया		20 फीट गुणा 45 फीट	रामराज नगर सेक्टर 5 प्लाट संख्या 14 साईज 20 फीट गुणा 45 फीट आवंटित किया जाता है।
3–	/09	जेडीए बनाम श्री भागीरथ राम	तुलसी कॉलोनी कबीर नगर योजना प्लाट संख्या 245 साईट एण्ड सर्विस योजना	राज्य आयोग से प्रार्थी के पक्ष में फैसला। अपील नहीं करने का निर्णय लिया।	9 अप्रैल, 2009	13 फीट गुणा 33 फीट	रामराज नगर सेक्टर 5 प्लाट संख्या 200 साईज 15 फीट गुणा 30 फीट आवंटित किया जाता है।

ए.सी.जे.एम. न्यायालय में विचाराधीन Execution पत्रावलियां में जिनमें सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश थे:–

क्र.सं.	प्रकरण संख्या व अवनान	मूल भूखण्ड का स्थान एवं आकार	आवंटित वैकल्पिक भूखण्ड	विशेष विवरण
1–	श्रीमती पारस कंवर बनाम यूआईटी इजराय संख्या 10/3	सरस्वती नगर 200 वर्ग मीटर साइज 30 फीट गुणा 60 फीट	रामराज नगर आकार 30 फीट गुणा 64 फीट भूखण्ड संख्या 44 सेक्टर नम्बर–1 आवंटित किया जाता है	सरस्वती नगर सेक्टर सी भूखण्ड संख्या 559 के बदले भूखण्ड संख्या 184 सेक्टर ए में देने के आदेश। यह कॉर्नर का भूखण्ड है व 700 वर्ग गज का है। यह भूखण्ड दिया जाना संभव नहीं है।
2–	श्रीमती जतन कंवर बनाम यूआईटी अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश इजराय संख्या 35/95	शास्त्रीनगर सेक्टर ए प्लाट संख्या 205 साईज 75 फीट गुणा 50 फीट अर्थात् 3750 वर्ग फीट	1– राजराज नगर आकार 30 फीट गुणा 64 फीट भूखण्ड संख्या 45 सेक्टर नम्बर–1 आवंटित किया जाता है।	प्रार्थीगा के भूखण्ड की साईज 3750 वर्ग फीट है। अतः 1920–1920 वर्ग फीट आकार के दो भूखण्ड संख्या 45 एवं भूखण्ड संख्या 46 आवंटित किये जाते है।

बैठक में विस्तृत विचार विमर्श कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना के उद्देश्य से जारी किये गये उक्त अनुसार भूखण्ड आवंटन का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 (2) : माननीय उपभोक्ता मंच एवं राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश की पालना अन्यत्र भूखण्ड दिये जाने के संबंध में।

माननीय उपभोक्ता मंच एवं राज्य आयोग द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ में प्रभावित पक्षकारों को न्यायालय निर्णय के अनुरूप वैकल्पिक भूखण्ड दिये जाने हैं। अतः निम्न अनुसार वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत हैः–

क्र. सं.	जिला उपभोक्ता मंच का प्रकरण संख्या एवं आदेश की दिनांक	राज्य आयोग का आदेश दिनांक	विवादित सम्पत्ति का विवरण	मूल भूखण्ड का माप	आवंटित वैकल्पिक भूखण्ड
1–	513/2005 पारस कोठारी बनाम यू.आई.टी दिनांक 11 सितम्बर, 2006	219/2008 दिनांक 13 मार्च, 2009	प्लाट संख्या 171 सेक्टर डी कीर्ति नगर योजना	20 गुणा 45 फीट अर्थात् 83.61 वर्ग मीटर	प्लाट संख्या 13 रामराज नगर सेक्टर 5 माप 20 फीट गुणा 49 फीट
2–	774/2006 यू आई टी बनाम मुकेश माथुर दिनांक 12 मार्च, 2008	132/2008 दिनांक 4 नवम्बर, 2008	प्लाट संख्या 199 सेक्टर बी कीर्ति	20 गुणा 45 फीट अर्थात्	प्लाट संख्या 15 रामराज नगर सेक्टर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

			नगर योजना	83.61 वर्ग मीटर	5 माप 20 फीट गुणा 49 फीट
3--	733/2007 जे डी ए बनाम महावीर चन्द तातेड दिनांक 13 मार्च, 2009	6/2009 दिनांक 20 नवम्बर, 2008	प्लाट संख्या 233 सेक्टर डी कीर्ति नगर योजना	30 फीट गुणा 60 फीट 200 वर्ग गज	प्लाट संख्या 48 रामराज नगर सेक्टर 2 माप 30 फीट गुणा 64 फीट
4--	428/2006 दिनेश कुमार चौहान दिनांक 31 मार्च, 2008	221/2008 दिनांक 9 सितम्बर, 2008	प्लाट संख्या 200 सेक्टर बी कीर्ति नगर योजना	20 गुणा 45 फीट अर्थात् 83.61 वर्ग मीटर	प्लाट संख्या 16 रामराज नगर सेक्टर 5 माप 20 फीट गुणा 49 फीट
5--	595/2007 ओम प्रकाश पाण्डया बनाम यू आई टी दिनांक 23 जुलाई, 2008	169/2008 दिनांक 10 दिसम्बर, 2008	प्लाट संख्या 74 सेक्टर बी कीर्ति नगर योजना	20 गुणा 45 फीट अर्थात् 83.61 वर्ग मीटर	प्लाट संख्या 17 रामराज नगर सेक्टर 5 माप 20 फीट गुणा 49 फीट
6--	898/2007 मदन सिंह बनाम यूआइटी दिनांक 23 अगस्त, 2008	191/2008 दिनांक 10 दिसम्बर, 2008	प्लाट संख्या 80, सेक्टर बी कीर्ति नगर योजना	20 गुणा 45 फीट अर्थात् 83.61 वर्ग मीटर	प्लाट संख्या 18 रामराज नगर सेक्टर 5 माप 20 फीट गुणा 49 फीट
7--	740/2007 जे डी ए बनाम मूलचन्द तातेड दिनांक 20 नवम्बर, 2008	7/09 दिनांक 13 मार्च, 2009	प्लाट संख्या 68 सेक्टर बी, कीर्तिनगर योजना	20 गुणा 45 फीट अर्थात् 83.61 वर्ग मीटर	संख्या 19 रामराज नगर सेक्टर 5 माप 20 फीट गुणा 49 फीट

सर्व सम्मति से विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में उपरोक्तानुसार वैकल्पिक भूखण्ड दिये जावे। प्रभारी अधिकारी, आवंटन यह प्रयास करेंगे कि दिये जाने वाले भूखण्ड का आकार मूल भूखण्ड के समतुल्य है। व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अगर समतुल्य आकार का भूखण्ड उपलब्ध नहीं हो तो निकटतम आकार का उपलब्ध भूखण्ड आवंटित किया जावे।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2009/354-556 दिनांक :: 19 जून, 2009

प्रतिलिपि बैठक में लिये गये निर्णय की पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है:--

1-- उपायुक्त--उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2-- प्रभारी अधिकारी, आवंटन/विधि शाखा, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3-- --

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(53) (48)

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2009 / 1 दिनांक 20, अगस्त, 2009

संशोधित बैठक कार्यवाही जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की तृतीय बैठक दिनांक 9 जून, 2009

1– जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 9 जून, 2009 के प्रस्ताव संख्या 7 के अन्तिम पारा में निम्नलिखित अनुसार पैरा जोड़ा जाता है:–

"न्यायालय प्रकरण से भिन्न आवटन के मामलों में भी आवंटी को कब्जा सुपुर्द नहीं करने का आवेदन प्राप्त होने पर उन्हें भी कार्यालय स्तर पर मैरिट के आधार पर परीक्षण कर वैकल्पिक भूखण्ड देने योग्य प्रकरण पाये जाने पर निर्णय हेतु बैठक में प्रस्तुत किया जावें।"

2– बैठक के अन्तिम प्रस्ताव संख्या 17 में नया प्रस्ताव प्रस्ताव संख्या 17 (17) जोड़ा जाता है:–

1– विकास कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा
2– प्राधिकरण का त्रैमासिक आय व्यय ब्यौरा
3– कच्ची बस्ती में कराये गये कार्यों की समीक्षा
4– 90–बी नियमन के प्रकरणों की समीक्षा।

(रमेशचन्द्र गुप्ता)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2009 / 1 – 33 दिनांक :: 20, अगस्त, 2009

प्रतिलिपि:–

1– प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
2– निजी सहायक (अध्यक्ष महोदय) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3– जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, जोधपुर
4– महापौर महोदया, नगर निगम, जोधपुर
5– जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
6– जिला पुलिस अधीक्षक (शहर) महोदय, जोधपुर
7– आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8– शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
9– उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड, जोधपुर
10– अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
11– अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
12– मुख्य प्रबन्धक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
13– वरिष्ठ नगर नियोजक / उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
14– --

(रमेशचन्द्र गुप्ता)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor